भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2227**

दिनांक 12 मई, 2016 को उत्‍तर के लिए

**महिलाओं और बच्चों के लिए संरक्षण गृह**

**2227. डा॰ सत्यनारायण जटियाः**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निराश्रित महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और शिक्षा हेतु राज्य-वार संरक्षण गृहों तथा उनके रखरखाव पर किए जाने वाले व्यय तथा उनमें रहने वाले निराश्रितों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपरोक्त के संदर्भ में प्रत्येक राज्य में महिलाओं और बच्चों के आदर्श निराश्रित गृहों, जिनमें उनकी सुरक्षा सहित उन्हें शिक्षा, कौशल और स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर नागरिक गरिमा और प्रतिष्ठा प्राप्त हो सके, की स्थापना हेतु किये गए उपायों तथा ऐसे गृहों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**श्रीमती मेनका संजय गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देशभर में निराश्रित महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा एवं शिक्षा के लिए स्‍वाधार और अल्‍पावास गृह स्‍कीमों का क्रियान्‍वयन कर रहा है । लाभार्थियों की संख्‍या दर्शाने वाला स्‍वाधार और अल्‍पावास गृह का राज्‍य वार ब्‍यौरा **अनुलग्‍नक-।** में दिया गया है । गत दो वर्षों में निर्मुक्‍त और स्‍वाधार गृहों एवं अल्‍पावास गृहों के रखरखाव पर उपयोग की गई राशि का ब्‍यौरा **अनुलग्‍नक-।।** में दिया गया है।

स्‍वाधार स्‍कीम कठिन परिस्‍थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ वर्ष 2001-02 के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी और अल्‍पावास गृह स्‍कीम जो प्रकृति में स्‍वाधार स्‍कीम जैसी है, वर्ष 1969 से केंद्रीय समाज कल्‍याण बोर्ड के माध्‍यम से क्रियान्‍वित की जा रही है । अब स्‍वाधार और अल्‍पावास गृह स्‍कीमों का 01.01.2016 से विलय कर दिया गया है और स्‍वाधार गृह के रूप में संशोधित किया गया है। स्‍वाधार गृह स्‍कीम दुर्भाग्‍यपूर्ण परिस्‍थितियों की पीड़ित महिलाओं पर लक्षित है जिन्‍हें पुनर्वास के लिए संस्‍थागत सहायता की जरूरत होती है ताकि वे सम्‍मानपूर्वक अपना जीवन जी सकें । स्‍कीम में दुर्भाग्‍यपूर्ण परिस्‍थितियों की पीड़ित महिलाओं को आश्रय, भोजन, कपड़े एवं स्‍वास्‍थ्‍य के साथ-साथ आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना परिकल्‍पित है ।

निराश्रित बच्‍चों के कल्‍याण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय **देश में अनाथ बच्‍चों सहित कठिन परिस्‍थितियों में रह रहे बच्‍चों** के पुनर्वास एवं पुनर्समेकन के लिए केंद्रीय प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण स्‍कीम (आईसीपीएस) क्रियान्‍वित कर रहा है। आईसीपीएस के अंतर्गत राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को संस्‍थागत देखरेख एवं गैर-संस्‍थागत दोनों देखरेख सेवाओं के लिए वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है । तदनुसार, विभिन्‍न प्रकार की दत्‍तक ग्रहण एजेंसियों को गृहों की स्‍थापना करने और उनके रखरखाव के लिए जिनमें बच्‍चों को उनके कल्‍याण एवं विकास के लिए अपेक्षित सेवाएं जैसे कि आश्रय, भोजन, शिक्षा, व्‍यावसायिक प्रशिक्षण, परामर्श आदि सेवाएं प्रदान की जाती हैं, अनुदान दिया जाता है । देश में बाल गृहों एवं विशेष दत्‍तक ग्रहण अभिकरणों का ब्‍यौरा जिनका मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही केंद्रीय प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण स्‍कीम (आईसीपीएस) के अंतर्गत निधियन किया जा रहा है, **अनुलग्‍नक-।।।** में दिया गया है ।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्‍नक – I**

**''महिलाओं और बच्चों के लिए संरक्षण गृह'' विषय पर डा॰ सत्यनारायण जटिया द्वारा दिनांक 12 मई, 2016 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2227 के उत्‍तर में संदर्भित विवरण**

**स्‍वाधार स्‍कीम और अल्‍पावास गृह कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के लिए कार्यरत गृहों और सहवासियों का राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र-वार ब्‍यौरा (31.03.2016 तक)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र | स्‍वाधार गृह | | अल्‍पावास गृह | |
| गृहों की संख्‍या | लाभार्थियों की संख्‍या | गृहों की संख्‍या | लाभार्थियों की संख्‍या |
|  | आंध्र प्रदेश | 10 | 500 | 15 | 1440 |
|  | असम | 12 | 600 | 12 | 1152 |
|  | अण्‍डमान व निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | अरूणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 1 | 96 |
|  | बिहार | 3 | 150 | 13 | 1248 |
|  | चण्‍डीगढ़ | 0 | 0 | 1 | 96 |
|  | छत्‍तीसगढ़ | 1 | 30 | 3 | 288 |
|  | दादर व नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | दिल्‍ली | 0 | 0 | 2 | 192 |
|  | गुजरात | 4 | 210 | 3 | 288 |
|  | गोवा | 0 | 0 | 1 | 96 |
|  | हरियाणा | 0 | 0 | 1 | 96 |
|  | हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | झारखण्‍ड | 2 | 100 | 1 | 96 |
|  | जम्‍मू व कश्‍मीर | 3 | 100 | 1 | 96 |
|  | कर्नाटक | 32 | 1520 | 28 | 2688 |
|  | केरल | 3 | 150 | 5 | 480 |
|  | लक्षदीप | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | मध्‍य प्रदेश | 12 | 525 | 16 | 1536 |
|  | महाराष्‍ट्र | 45 | 2000 | 32 | 3072 |
|  | मणिपुर | 18 | 850 | 5 | 480 |
|  | मिजोरम | 1 | 50 | 1 | 96 |
|  | मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | नागालैण्‍ड | 0 | 0 | 1 | 96 |
|  | ओड़िशा | 44 | 2150 | 32 | 3072 |
|  | पंजाब | 0 | 0 | 2 | 192 |
|  | पुद्दुचेरी | 0 | 0 | 1 | 96 |
|  | राजस्‍थान | 12 | 550 | 3 | 288 |
|  | सिक्‍किम | 0 | 0 | 1 | 96 |
|  | तमिलनाडु | 14 | 800 | 32 | 3072 |
|  | तेलंगाना | 10 | 435 | 15 | 1440 |
|  | त्रिपुरा | 0 | 0 | 4 | 384 |
|  | उत्‍तर प्रदेश | 42 | 2745 | 34 | 3264 |
|  | उत्‍तराखण्‍ड | 4 | 250 | 6 | 576 |
|  | पश्‍चिम बंगाल | 17 | 663 | 30 | 2880 |
|  | **कुल** | **289** | **14378** | **302** | **28992** |

**अनुलग्‍नक – II**

**''महिलाओं और बच्चों के लिए संरक्षण गृह'' विषय पर डा॰ सत्यनारायण जटिया द्वारा दिनांक 12 मई, 2016 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2227 के उत्‍तर में संदर्भित विवरण**

**स्‍वाधार स्‍कीम और अल्‍पावास गृहों के अंतर्गत निर्मुक्‍त निधियां**

**(रुपये लाखों में)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| वर्ष | **स्‍वाधार गृह** | **अल्‍पावास गृह** |
| निर्मुक्‍त राशि और उपयोग की गई राशि | निर्मुक्‍त राशि और उपयोग की गई राशि |
| 2014-15 | 1660.32 | 1563.34 |
| 2015-16 | 2336.64 | 2205.80 |

**\*\*\*\*\*\*\*\***

अनुलग्‍नक –III

''महिलाओं और बच्चों के लिए संरक्षण गृह'' विषय पर डा॰ सत्यनारायण जटिया द्वारा दिनांक 12 मई, 2016 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2227 के उत्‍तर में संदर्भित विवरण

देश, राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में आईसीपीएस के अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत बाल गृहों और विशेष दत्‍तक ग्रहण एजेंसियों का ब्‍यौरा

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्‍य** | **बाल गृह (सरकारी एवं गैर सरकारी)** | **लाभार्थी** | **विशेष दत्‍तक ग्रहण एजेंसियां (एसएए)** | **लाभार्थी** |
| 1 | आन्‍ध्र प्रदेश | 55 | 3957 | 14 | 170 |
| 2 | अरूणाचल प्रदेश | 1 | 24 | 1 | 9 |
| 3 | असम | 24 | 705 | 8 | 39 |
| 4 | बिहार | 21 | 715 | 10 | 119 |
| 5 | छत्‍तीसगढ | 35 | 1233 | 9 | 48 |
| 6 | गोवा | 2 | 0 | 2 | 46 |
| 7 | गुजरात | 48 | 1864 | 9 | 67 |
| 8 | हरियाणा | 21 | 1152 | 7 | 8 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 25 | 946 | 1 | 10 |
| 10 | जम्‍मू व कश्‍मीर | - | - | - | - |
| 11 | झारखण्‍ड | 4 | 155 | 4 | 55 |
| 12 | कर्नाटक | 65 | 2744 | 23 | 243 |
| 13 | केरल | 12 | 666 | 14 | 253 |
| 14 | मध्‍य प्रदेश | 32 | 1239 | 20 | 148 |
| 15 | महाराष्‍ट्र | 69 | 3634 | 14 | 140 |
| 16 | मणिपुर | 23 | 755 | 7 | 70 |
| 17 | मेघालय | 18 | 634 | 1 | 8 |
| 18 | मिजोरम | 35 | 1413 | 4 | 31 |
| 19 | नागालैण्‍ड | 16 | 674 | 4 | 24 |
| 20 | ओडिशा | 90 | 685 | 14 | 212 |
| 21 | पंजाब | 11 | 235 | 5 | 146 |
| 22 | राजस्‍थान | 72 | 1565 | 36 | 212 |
| 23 | सिक्‍किम | 10 | 403 | 2 | 13 |
| 24 | तमिलनाडु | 221 | 16466 | 15 | 233 |
| 25 | त्रिपुरा | 12 | 434 | 9 | 43 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 43 | 1092 | 10 | 100 |
| 27 | उत्‍तराखण्‍ड | 6 | 186 | 2 | 25 |
| 28 | पश्‍चिम बंगाल | 36 | 2524 | 24 | 283 |
| 29 | तेलंगाना | 44 | 2560 | 11 | 312 |
| 30 | अण्‍डमान और निकोबार | 6 | 342 | - | - |
| 31 | चण्‍डीगढ | 8 | 417 | - | - |
| 32 | दादर और नगर हवेली | - | - | - | - |
| 33 | दमन और दीव | - | - | - | - |
| 34 | लक्षद्वीप | - | - | - | - |
| 35 | राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली | 22 | 1203 | 4 | 77 |
| 36 | पुद्दुचेरी | 22 | 1003 | 2 | 24 |
|  | कुल | **1109** | **51625** | **286** | **3168** |